संख्या– /VI/2016–34(9)/2015

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2– निदेशक,
शहरी विकास/पंचायती राज/युवा कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून : दिनांक 15 नवम्बर, 2016

खेलकूद अनुभाग

विषयः राज्य में खेल अवस्थापनाओं के विकास के अर्न्तगत राज्य में खेल अवस्थापना सुविधाओं/खेल अकादमियों की स्थापना एवं संचालन राज्य सरकार द्वारा चयनित पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय निकाय एवं निजी प्रायोजक के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में खेल अवस्थापनाओं के विकास के अर्न्तगत राज्य में खेल अवस्थापना सुविधाओं/खेल अकादमियों की स्थापना एवं संचालन राज्य सरकार द्वारा चयनित पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय निकाय एवं निजी प्रायोजक के माध्यम से किये जाने हेतु नीति को ओर अधिक प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

(1) **लाभार्थी का चयन, योजना का अनुश्रवण एवं परिवादतंत्र**

योजना में लाभार्थी का चयन, योजना का अनुश्रवण एवं परिवाद हेतु सम्पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्न गठित समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति परियोजना के सम्पूर्ण कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी :–

1.	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
3.	सहायक निदेशक खेल/ जिला क्रीड़ाधिकारी	–	सदस्य सचिव
4.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	–	सदस्य
5.	जिला लीड बैंक प्रबंधक	–	सदस्य
6.	अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकाय	–	सदस्य
7.	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	–	सदस्य
8.	जिला युवा कल्याण अधिकारी	–	सदस्य
9.	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	–	सदस्य

(2) **वित्तीय सहायता**

(i) यह योजना राज्य सरकार एवं प्रायोजक द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित की जायेगी।

(ii) पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकाय को इस योजना अन्तर्गत पूंजीगत कार्यों हेतु 50:50 के अनुपात वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

(iii) निजी प्रयोजकों के द्वारा स्थापित खेल अकादमियों को राज्य सरकार द्वारा 25% पूंजीगत व्यय अधिकतम ₹50.00 लाख की सीमा तक वहन किया जायेगा।

(3) **अनुदान की मंजूरी हेतु शर्ते**

(i) प्रायोजक द्वारा अपना आवेदन सुस्पष्ट स्थल का विवरण देते हुए एवं प्रस्तावित खेल का उल्लेख करते हुए जिला खेल कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। खेल विभाग द्वारा उक्त का परीक्षण इस आशय से भी किया जायेगा कि किसी खेल का संकेन्द्रण एक विशेष क्षेत्र में न हो पाये, वरन खेलों का वितरण विभिन्न क्षेत्रों में मांगानुसार हो।

(ii) अनुदान राज्य सरकार द्वारा खेल विभाग के माध्यम से प्रायोजक के बैंक खाते में एक से अधिक किश्तों में जहां विभाग उचित समझे अंतरित की जायेगी। अनुदान निजी प्रयोजकों के अंश एवं लिये गये ऋण (यदि कोई हो) के व्यय होने के उपरान्त ही उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) संपूर्ण परियोजना विधिवत अनुसुचित बैंक के द्वारा समर्थित होनी चाहिए साथ ही परियोजना लागत एवं वित्त पोषण बैंक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। यदि परियोजना में किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया जा रहा है, जो आवेदक के बैंक द्वारा परियोजना लागत परियोजना वित्त पोषण प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(iv) प्रायोजक द्वारा न्यूनतम 10 वर्षों तक खेल अकादमी को संचालित किया जायेगा इससे पूर्व अकादमी बन्द करने पर उपलब्ध कराये गये अनुदान को Pro-rata basis पर ब्याज सहित वापस करना होगा।

(v) खेल अकादमी हेतु शुल्क का निर्धारण प्रायोजक द्वारा किया जायेगा, परन्तु उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने राज्य, राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय स्तर पर स्तरीय प्रदर्शन किया हो को रियायती दरों यथा सामान्य उपयोगर्ता के 25 प्रतिशत दर पर सुविधा के साथ प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

(vi) प्रायोजक को खेल विभाग को प्रतियोगिता/प्रशिक्षण आदि हेतु आवश्यकतानुसार रियायती दरों पर अवस्थापना सुविधा उपलब्ध करानी होगी एवं प्रत्येक वर्ष यह सुविधा न्यूनतम एक सप्ताह हेतु निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी।

(4) <u>कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र</u>

(i) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रायोजक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण प्रमाण–पत्र के साथ योजना के व्यय लेखा को उपलब्ध कराना होगा।

(ii) अनुदान की धनराशि की अन्तिम किश्त (10%) योजना के कार्य पूर्ण प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) <u>प्रबन्धन</u>

(i) प्रायोजक द्वारा खेल अकादमी के प्रबन्धन की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, साथ ही अकादमियों के सफल संचालन हेतु कोच एव प्रशिक्षकों की तैनाती का विवरण भी उपलब्ध कराया जाना होगा।

(ii) प्रायोजक द्वारा स्पष्ट रूप से शुल्क, समय एवं अनुमानित उपयोगकर्ताओं की संख्या का विवरण भी देना होगा।

(6) <u>घटक</u>

(i) राज्य सरकार राज्य के सभी क्षेत्र में खेलों के विकास हेतु कटिबद्ध है। स्थानीय मांग एवं खेलों मे स्थानीय अभिरूचि के अनुरूप निम्न खेल चयनित किये जा सकते हैं:–

(a) बैडमिंटन
(b) टेबिल टेनिस
(c) स्क्वैश
(d) इण्डोर क्रिकेट
(e) बास्केटबॉल
(f) बॉलीबाल
(g) फुटबाल
(h) हॉकी
(i) स्वीमिंग

(ii) यह एक सांकेतिक सूची है, उत्तराखण्ड खेल नीति, 2014 के सूचीबद्ध अन्य खेलों हेतु भी आवेदन किया जा सकता है, जिस पर विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

(7) <u>पात्रता</u>

(i) उक्त नीति के अन्तर्गत राज्य में खेल अवस्थापना सुविधाओं/खेल अकादमियों की स्थापना एवं संचालन उत्तराखण्ड राज्य की सीमान्तर्गत होना चाहिए।

(ii) अनुदान निम्न अभ्यर्थियों (प्रायोजक) को उपलब्ध कराया जा सकता है :–

(a) पंचायती राज संस्थायें
(b) स्थानीय निकाय।
(c) व्यक्तिगत प्रायोजक।
(d) गैर सरकारी संगठन।

(iii) अनुदान जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) खेल अकादमियों की स्थापना

(i) खेल नीति के अनुरूप प्रदेश को एक खेल प्रदेश बनाने हेतु खेल अकादमियों की स्थापना की जायेगी, जो निम्न 06 बिन्दुओं पर उक्त अकादमियों के स्थापना में सहयोग प्रदान करेगी :–

(a) सभी के लिए खेल संबंधी अवसरों में वृद्धि करना।

(b) खेल गतिविधियों को जीवन के विभिन्न चरणों के अनुरूप विकसित करना।

(c) सामुदायिक खेल वातावरण का विकास करना जहां निवासी सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर सके।

(d) प्रशिक्षण एवं खेल वातावरण का विकास इस आशय किया जायेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं एवं खेल गतिविधियां विकसित हो सके।

(e) खेलों के राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों के संदर्भ में खेल गतिविधियों में विभाग में सहयोग प्रदान करना।

(f) खेल/क्रीड़ा क्षेत्र में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को बढ़ावा देना।

(9) उद्देश्य

(i) खेलों की पहुंच को विस्तृत करने हेतु राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विभिन्न खेल संगठनों, निजी व्यावसायिक संस्थानों, राज्य के खेलों के विकास में जुड़े अन्य व्यक्तियों की मद्द से खेल सुविधाओं को राज्य में विकसित करने हेतु कटिबद्ध है।

(ii) यह विकास राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के साथ–साथ राजस्व में वृद्धि के अवसर भी प्रदान करेगा।

(10) कार्यक्षेत्र

(i) राज्य के खेलों को विकसित करने हेतु विभिन्न खेल अकादमियों की स्थापना एवं स्थापित खेल अकादमियों के विस्तार में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(ii) खेल अकादमी की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम भूमि खेलों के मानकों के अनुरूप एव स्थानीय भवन विनियमों के अधीन निर्धारित होगी एवं खेलों हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना एवं उपकरण राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय खेल मानकों के अनुरूप होंगे।

(11) आवेदन के साथ संलग्नक

(i) राज्य में निजी क्षेत्र में खेल अकादमियों हेतु प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप।

(ii) प्रस्तावित योजना की प्रोजक्ट रिपोर्ट।

(iii) प्रस्तावित खेल के साथ साइट ले आउट संबंधित खेल से संबंधित आवश्यकताओं एवं नियमों के अनुपालन के संदर्भ में।

(iv) भवन ले आउट जिसमें भली–भांति FOP, प्रशासनिक क्षेत्र, लॉकर रूम, टॉयलेट वर्णित हो।

(v) प्रस्तावित व्यावसायिक योजना जिसमें अकादमी में खेले जाने वाले खेल, समय, खिलाड़ियों की संख्या एवं कोच का विवरण हो।

(vi) प्रस्तावित योजना की लागत विवरण जिसमें भूमि लागत सम्मिलित न हो।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–136(P)/XXVII(3)/2016–17, दिनांक 10 नवम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक :– योजनान्तर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।